न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री बृजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्या:–21/2020(M) (GCMS No. 2020/00473) (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी.)

1. दर्शन सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप जाति ठाकुर
2. सरबन सिंह पुत्र श्री पन्नालाल जाति ठाकुर
3. रमेश चन्द पुत्र रामजीलाल जाति ब्राहम्ण
4. अशोक पुत्र बहादुरसिंह जाति ठाकुर

समस्त निवासीगण ग्राम बोरेली तहसील बसेडी जिला धौलपुर (राज0)

..........प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी।
2. आवंटन कमेटी जरिये उपखण्ड अधिकारी बसेडी।

...............विपक्षीगण

3. कपूरा
4. बुन्दू
5. मुन्ना

पुत्रगण श्री हुसैनी जातिगण फकीर निवासीगण ग्राम बोरेली तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

..........तरतीवी विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी.

उपस्थिति:–

1. अपीलान्ट्स की ओर से श्री हरवीरसिंह, वकील

नि र्ण य **दिनांक : 06.05.2024**

1. यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया गया है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1394 रकवा 62 बीघा 02 विस्वा स्थित ग्राम बोरेली तहसील बसेडी में से प्रार्थीगण व तरतीवी रेस्पो. संख्या 3 लगा. 6 व अन्य व्यक्तियों को दिनांक 27.10.1976 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित किया गया। अपीलांटस व अन्य व्यक्तियों द्वारा अपने नाम आवंटित भूमि का इन्द्राज बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अंकन करा लिया। उक्त्स आवंटन को निरस्त कराने हेतु गॉव के एक व्यक्ति शंकरलाल पुत्र सरवन जाति ब्राहम्ण निवासी बोरेली तहसील बसेडी ने वर्ष 1989 में एक प्रार्थना पत्र राजस्थान

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर

कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के अधीन जिला कलक्टर धौलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा पक्षकारों को सुनने के बाद आदेश दिनांक 26.09.1989 से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिसकी अपील शंकरलाल द्वारा राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर को अपील संख्या 116/1989 उनवानी शंकरलाल बनाम दर्शनसिंह प्रस्तुत की। राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.02.1991 उक्त अपील स्वीकार कर आवंटन को निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. न्यायालय बन्दोवस्त अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत किया।

2. प्रार्थना पत्र अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1394 रकवा 62 बीघा 02 विस्वा स्थित ग्राम बोरेली तहसील बसेडी में से प्रार्थीगण व तरतीवी रेस्पो. संख्या 3 लगा. 6 व अन्य व्यक्तियों को दिनांक 27.10.1976 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित किया गया। अपीलांटस व अन्य व्यक्तियों द्वारा अपने नाम आवंटित भूमि का इन्द्राज बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अंकन करा लिया। उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु गॉव के एक व्यक्ति शंकरलाल पुत्र सरवन जाति ब्राहम्ण निवासी बोरेली तहसील बसेडी ने वर्ष 1989 में एक प्रार्थना पत्र राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के अधीन जिला कलक्टर धौलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा पक्षकारों को सुनने के बाद आदेश दिनांक 26.09.1989 से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। प्रार्थना पत्र 14(4) पर जिला कलक्टर द्वारा क्या आदेश पारित किये गये है की प्रति पेश नहीं की है। जिसके विरूद्व शंकरलाल ने राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के यहॉ अपील पेश की। उक्त अपील में दिनांक 07.02.1991 को पारित निर्णय से आवंटन को निरस्त कर दिया गया। अपीलांट संख्या 1 दर्शनसिंह ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के आदेश किदनांक 07.02.1991 के विरूद्व एक अपील संख्या 13/1991 उनवानी दर्शनसिंह पुत्र श्री शंकरलाल के नाम से माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की। उक्त अपील पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद रामस्व मण्डल द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.05.1997 से अपील स्वीकार कर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.02.1991 को निरस्त कर दिया और आवंटन कमेटी द्वारा किये गये समस्त आवंटन को बहाल कर दिया। न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.1997 के तहत आज भी आवंटन वैध व प्रभावी है। राजस्व मण्डल का आदेश दिनांक 29.05.1997 का है जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) की दिनांक से लगभग 18 वर्ष पूर्व का है। राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के आदेश से जो

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

इन्द्राजात बदल दिये गये उनको रिस्टोर किया जाना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र भूल के कारण जिला कलक्टर धौलपुर के समक्ष धारा 144 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत किया लेकिन अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर को प्रार्थना पत्र को सुनने व समाहित करने का अधिकार नहीं था क्योंकि जो इन्द्राजात हटाये गये थे वो राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय से हटाये गये थे। इसलिए राजस्व अपील अधिकारी न्यायलाय में धारा 144 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता था। जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया। वह तमाम कार्यवाही क्षेत्राधिकार विहीन थी उसका इस प्रार्थना पत्र पर कोई प्रभाव नहीं है। अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 07.02.1991 के परिणामस्वरूप खसरा नम्बर 1394 रकवा 62 बीघा 02 विस्वा में से प्रार्थीगण व तरतीवी विपक्षीगण 3 लगा. 6 व अन्य आवंटियों के इन्द्राजात निरस्त कर दिये गये उनको माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 19.05.1997 की रोशनी में पुनः स्थापित किया जावे।

4. अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1394 रकवा 62 बीघा 02 विस्वा स्थित ग्राम बोरेली तहसील बसेडी में से प्रार्थीगण व तरतीवी रेस्पो. संख्या 3 लगा. 6 व अन्य व्यक्तियों को दिनांक 27.10.1976 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित किया गया। उक्त आवंटन के विरूद्व शंकरलाल पुत्र सरवन जाति ब्राहम्ण निवासी बोरेली तहसील बसेडी द्वारा वर्ष 1989 में जिला कलक्टर धौलपुर के यहॉ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 26.09.1989 को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश की अपील राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर को की गई। राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर द्वारा अपने निर्णय में लिखा कि विवादित आराजी रिकार्डेड तालाब की भूमि है जिसकी किस्म बारानी में परिवर्तित कर इसका आवंटन नहीं करना चाहिए था, दिनांक 07.02.1991 को अपील स्वीकार कर आवंटन को निरस्त कर दिया गया। अपीलांट संख्या 1 दर्शनसिंह द्वारा आदेश दिनांक 07.02.1991 के विरूद्व राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में की गई। राजस्व मण्डल द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.05.1997 से स्वीकार कर समस्त आवंटन को बहाल कर दिया गया। अपीलांट द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 29.05.1997 के बाद दिनांक 16.07.2015 को लगभग 18 वर्ष बाद मियाद बाहर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया। लिमिटेशन एक्ट की धारा 136 में किसी भी डिक्री अथवा आदेश की चालना के लिए निर्णय की दिनांक से अधिकतम अवधि 12 वर्ष निर्धारित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

है। प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई भी ठोस कारण अंकित नहीं किया गया और न ही मियाद के संबधं में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया। प्रार्थना पत्र 18 वर्ष बाद काफी विलम्ब से पेश किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपीलांटस का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. मियाद बाहर पेश होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/5/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर